"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल 2006—वैशाख 9, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/52/2006/वाक/पांच (40).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा ,—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 80 में अंक "30" के स्थान पर अंक "60" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 01-4-2006 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/52/2006/वाक/पांच(40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/52/2006/वाक/पांच (40), दिनांक 28-4-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/52/2006/CT/V (40).— In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 80 for the figure "30" the figure "60" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/53/2006/वाक/पांच (41).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16), दिनांक 31-3-2006 में निम्न संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 108 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाय-

109 बड़ी, कुल्डई, सेवई, फिंगर पापड़ तथा साबुदाना के फूल

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/53/2006/वाक/पांच (41).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/53/2006/वाक/पांच (41), दिनांक 28-4-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/53/2006/CT/V (41).— In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. F-10/28/2006/CT/V (16) dated 30-3-2006 :—

AMENDMENT

In Schedule to the said notification after S. No. 108 the following entry shall be added-

109 Badi, kuldai, sewai, finger papad and sabudana ke phool

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/54/2006/वाक/पांच (42).—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन किया जाना चाहिए ;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5-ग के उपनियम (5) में शब्दों एवं अंक "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005)" तथा शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 के नियम 79" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 60" को प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 7-क के उपनियम (3) में शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 के नियम 37 के उपनियम (2)" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के उपनियम (2)" को प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 7-ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, यथा—

"नियम 7-ख : छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत आगत कर रिबेट का समायोजन जहां छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 13 के अधीन कोई आगत कर रिबेट, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित किसी विवरण के अनुसार उस व्यापारी को शोध्य हो, वहां ऐसा व्यापारी ऐसे आगत कर रिबेट की रकम ऐसे किसी कर के प्रति समायोजन करेगा, जो नियम 7-क के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित किसी विवरणी के अनुसार उसके द्वारा देय है.

4. नियम 8 में शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005)" को प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 10-ख में—

(एक) शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005)" को प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" के स्थान पर शब्दों एवं अंकों "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005)" को प्रतिस्थापित किया जाए.

उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील माने जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/54/2006/वाक/पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/54/2006/वाक/पांच (42), दिनांक 28-4-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/54/2006/CT/V (42).— Whereas the State Government considers that the following amendments in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957 should be made ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules 1957, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (5) of rule 5-C for the words and figure "Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994" the words and figures "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" and for the words and figures "rule 79 of the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995" the words and figures "rule 60 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006" shall be substituted.

2. In sub-rule (3) of rule 7-A for the words and figures "sub-rule (2) of rule 37 of the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995", the words and figures "sub-rule (2) of rule 35 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006" shall be substituted.

3. For rule 7-B the following rule shall be substituted, namely-

"Rule 7-B: Adjustment of input tax rebate due under section 13 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 Where any input tax rebate under section 13 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) is due to a dealer in accordance with any return required to be furnished by a registered dealer under section 19 of the said Act, such dealer shall adjust the amount of such input tax rebate towards any tax payble by him in accordance with any return required to be furnished by him under rule 7-A."

4. In rule 8 for the words and figures "Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995)" the words and figures " Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted.

5. In rule 10-B-

(i) for the words and figures "Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994" the words and figures "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted; and

(ii) for the words and figures "Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995)" the words and figures "Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted.

The above amendments shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/55/2006/वाक/पांच (43).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/41/2006/वाक/पांच (35), दिनांक 13-4-2006 में 1 अप्रैल, 2006 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

(1) अंक एवं शब्द "42 एवं" विलोपित किया जाय.

(2) अनुक्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि को विलोपित किया जाय.

(3) अनुक्रमांक 7 को अनुक्रमांक 6 के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/55/2006/वाक/पांच (43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2006/वाक/पांच (43), दिनांक 28-4-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/55/2006/CT/V (43).— In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/41/2006/CT/V (35) dated 13-4-2006 with effect from 1st April, 2006 :—

AMENDMENT

In the said notification—

(1) The figure and word "42 and" shall be omitted.

(2) S. No. 6 and entry relating thereto shall be omitted.

(3) S. No. 7 shall be re-numbered as S. No. 6.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/55/2006/वाक/पांच (44).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन एवं शर्तें (4)
1.	अनुसूची-2 के भाग-2 की प्रविष्टि 42 में निर्दिष्ट औषध तथा औषधि.	धारा 8 के अधीन संपूर्ण कर	(1) जब कालम (2) में वर्णित माल का छत्तीसगढ़ राज्य में पुनः विक्रय किया जाय तथा ऐसे माल पर राज्य में प्रथम विक्रय बिंदु पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर लग चुका हो, तथा

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) ऐसें माल के क्रय पर आगत कर का रिबेट का दावा नहीं किया जायेगा या न ही उसे इसके लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अपैल 2006

क्रमांक एफ-10/55/2006/वाक/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2006/वाक/पांच (44), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/55/2006/CT/V (44).— In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to restrictions and conditions specified in column (4) with effect from 1st April, 2006 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions & conditions (4)
1.	Drugs and Medicines as specified in entry 42 in part-II of Schedule-II.	Whole of tax under section 8.	(1) When the goods specified in column (2) are re-sold in the Chhattisgarh state and such goods have suffered tax under Chhattisgarh Value Added Tax Act on first point of sale in the State, and (2) No input tax rebate shall be claimed or be allowed on purchase of such goods.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (45).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 27 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये "पूंजीगत माल" अधिसूचित करती है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
1.	प्लांट एवं मशीनरी, अर्थात,— (एक) खाद्य तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये मशीनरी जिसमें फ्लोर मिल शामिल है, (दो) शक्कर मिल के लिये मशीनरी, (तीन) पेय, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद उद्योगों के लिये मशीनरी, (चार) जूट, सन, मेस्ता, टेक्सटाईल्स उद्योगों के लिये मशीनरी, (पांच) इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये मशीनरी, (छ:) पेंट्स उद्योगों के लिये मशीनरी, (सात) फर्नीचर तथा काष्ठ उत्पाद उद्योगों के लिये मशीनरी, (आठ) पेपर तथा पेपर उत्पाद एवं प्रिंटिंग उद्योगों के लिये मशीनरी, (नौ) केमिकल तथा केमिकल उत्पाद के लिये मशीनरी (दस) मूल धातु तथा एलाय उद्योगों के लिये मशीनरी, (ग्यारह) गैर-धातु खनिज उत्पाद एवं उद्योगों के लिये मशीनरी; (बारह) माइनिंग मशीनरी, (तेरह) फाऊण्ड्री मशीनरी, (चौदह) प्रिंटिंग उद्योगों के लिये मशीनरी, (पन्द्रह) लोहा एवं इस्पात उद्योगों के लिये मशीनरी, (सोलह) कूलिंग टावर्स (सत्रह) क्रमांक (एक) से (सोलह) में विनिर्दिष्ट प्लांट एवं मशीनरी के स्पेयर पार्टस एवं पूर्जे
2.	बायलर एवं इसके पुर्जे
3.	डस्ट कलेक्शन सिस्टम (डब्ल्यूएचआरबी)-एसआईडी एवं इसके पुर्जे
4.	डब्ल्यूएचआर बायलर (फेरो), डब्ल्यूएचआर बायलर-एसआईडी एवं इसके पुर्जे
5.	सबमर्ज्ड आर्क फर्नेश एवं इसके पुर्जे
6.	इंडक्शन फर्नेश एवं इसके पुर्जे
7.	लेडल रिफाइनिंग फर्नेश एवं इसके पुर्जे
8.	कंटिन्युअस कास्टिंग मशीन एवं इसके पुर्जे
9.	लेडल चार्जिंग बकेट एवं इसके पुर्जे

(1)	(2)
10.	एक्सप्लोजिव मैग्जीन (पोर्टेबल)
11.	ब्लास्टिंग टूल्स, अर्थात्-एक्प्लोडर्स, सिरेन, ब्लास्टिंग सेल्टर एवं इसके पुर्जे
12.	क्रशर एवं इसके पुर्जे
13.	बेल्ट कनवेयर एवं इसके पुर्जे
14.	मैकेनिकल स्क्रीन एवं इसके पुर्जे
15.	डिडस्टींग प्लांट एवं इसके पुर्जे
16.	अयस्क/कोयला बेनिफिकेशन इक्विपमेंट्स एवं इसके पुर्जे
17.	पेलेटाईजेशन प्लांट इक्विपमेंट एवं इसके पुर्जे
18.	किल्न, डीएससी, एबीसी तथा इसके पुर्जे
19.	प्रदूषण नियंत्रण इक्विपमेंट
20.	वाटर ट्रिटमेंट प्लांट एवं इसके पुर्जे
21.	इंडस्ट्रीयल चैन
22.	एचएसएस तथा मिल, ड्रिल
23.	सभी प्रकार के रिफेक्ट्री, रिफेक्ट्री ब्रिक्स, हाईसिल ब्लाक्स
24.	आप्टिकल, फोटोग्राफिक, मेजरिंग, चेकिंग, प्रिसिसन इन्स्ट्रूमेंट्स, एपारटस तथा उनके पुर्जे जो किसी उद्योग में माल के निर्माण के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (45).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (45), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/56/2006/CT/V (45).— In pursuance of the requirement under entry 27 of part II of Schedule-2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby notifies the goods specified in Schedule below as "Capital Goods" for the purpose of the said entry, namely,—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Goods (2)
1.	Plant and machinery, that is to say,— (i) Machinery for food and food processing industries including flour mill (ii) Machinery for sugar mill (iii) Machinery for beverages, tobacco and tobacco products industries (iv) Machinery for jute, hemp, mesta textiles industries (v) Machinery for engineering industries (vi) Machinery for paints industries (vii) Machinery for furniture and wood products industries (viii) Machinery for paper and paper products and printing (ix) Machinery for chemical and chemical products (x) Machinery for basic metal and alloys industries (xi) Machinery for non-metallic mineral product and industries (xii) Mining machinery (xiii) Foundry machinery (xiv) Machinery for printing industry (xv) Machinery for iron and steel industry (xvi) Cooling towers (xvii) Spare parts and components of the plant and machinery specified in items (i) to (xvi).
2.	Boiler and its component
3.	Dust Collection System (WHRB)-SID & its component
4.	WHR Boiler (ferro), WHR Boiler-SID & its component
5.	Submerged Arc Furnace and its components
6.	Induction Furnace and its component
7.	Laddle Refining Furnace and its component
8.	Continous Casting Machine and its component
9.	Laddle Charging Bucket and its component
[illegible]	Explosive magazine (Portable)
11.	Blasting tools, [illegible] Exploders, Siren, Blasting Shelter and its components
12.	Crushers and its component
13.	Belt Conveyor and its component
14.	Mechanical Screens and its component

(1)	(2)
15.	De dusting plant and its component
16.	Ore/Coal beneficiation equipments and its component
17.	Pelletization plant equipment and its component
18.	Kiln, DSC, ABC and its component
19.	Pollution Control Equipment
20.	Water Treatment Plant and components
21.	Industrial Chain
22.	HSS & Mill, Drill
23.	All kind of Refractory, Refractory Bricks, Hysill Blocks
24.	Optical, Photographic, measuring, checking, precision instruments, apparatus and parts thereof used for the manufacture of goods in a industry.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (46).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 60 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये "औद्योगिक आगत" अधिसूचित करती है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
1.	ग्लायसेरोल क्रुड, ग्लायसेरोल वाटर्स एवं ग्लायसेरोल लायस्
2.	तरल ग्लूकोस (नान-मैंडिसिनल)
3.	मैंगनीज, अयस्क एवं रातिब, फेरूजिनियस मैंगनीज अयस्क तथा 20% या अधिक अन्तर्वस्तु मैंगनीज सहित रातिब को शामिल करते हुए, सूखे वजन पर गणना करते हुए.
4.	तांबा अयस्क तथा रातिब
5.	निकल अयस्क तथा रातिब

(1)	(2)
6.	एल्यूमिनियम अयस्क तथा रातिब
7.	जस्ता अयस्क तथा रातिब
8.	टिन अयस्क तथा रातिब
9.	क्रोमियम अयस्क तथा रातिब
10.	टंगस्टन अयस्क तथा रातिब
11.	बहुमूल्य धातु अयस्क तथा रातिब
12.	आयरन या स्टील निर्माण से दानेदार स्लेग (स्लेग सेण्ड)
13.	बेन्जोल
14.	टोलुओल
15.	जाईलोल
16.	नेपथालेन
17.	फेनोलस्
18.	क्रेसोट आयलूस
19.	नार्मल पैराफिन
20.	फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन तथा आयोडिन
21.	सल्फर, सब्लिमेड या प्रेसिपिटेड, कोलोइडाल सल्फर
22.	कार्बन (कार्बन ब्लेक्स तथा कार्बन के अन्य स्वरूप)
23.	हाइड्रोजन क्लोराईड (हाइड्रोक्लोरिक एसिड), क्लोरो सल्फरिक एसिड
24.	सल्फरिक एसिड तथा उसके एन्हाईड्राइड्स, ओलियम
25.	नाईट्रिक एसिड, सल्फोनाइट्रिक एसिड्स
26.	डिफास्फोरस पेन्टाआक्साइड, फास्फोरिक एसिड तथा पालिफास्फोरिक एसिड्स
27.	आक्साइड्स आफ बोरोन, बोरिक एसिड
28.	अमोनिया, एन्हाइड्रोयस या एक्यूइयस साल्यूशन में
29.	साडियम हाईड्रोक्साईड (कास्टिक सोडा) पोटेशियम हाइड्रोक्साईड (कास्टिक पोटाश), पेराक्साईड आफ सोडियम या पोटेशियम

(1)	(2)
30.	सोडियम सीलिकेट
31.	एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
32.	आयरन आक्साइड्स तथा हाइड्रोक्साइड
33.	इथिलेन, प्रॉपिलेन
34.	साइक्लिक हाइड्रोकार्बनूस
35.	हाइड्रोकार्बनूस के हेलोजेनेटड डेरिवेटीव्ज
36.	सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या हाइड्रोकार्बनूस के नाइट्रोसेटेड डेरिवेटीव्ज, हेलोजेनेटेड हो या न हो
37.	मेथानॉल
38.	डाइ-इथिलेन ग्लाइकोल, मोनो-इथिलेन ग्लाइकोल, ट्राई-इथिलेन ग्लाइकोल, इथिलेन ग्लाइकोल, हेवी इथिलेन ग्लाइकोल
39.	सिंथेटिक आर्गनिक कलरिंग मेटर
40.	पिगमेंट
41.	एन्जाइम
42.	फ्लेवरिंग एसेंस, सिंथेटिक एसेसियल आयल
43.	विद्युत सामग्री, यथा (एक) वाइडिंग वायर्स एवं स्ट्रिप्स (दो) कन्ट्रोल गेयर्स एवं स्टार्ट्स (तीन) एममीटर के डब्ल्यू एच मीटर, वोल्टमीटर (चार) इलेक्ट्रिकल रिलेज तथा सिंगल फेजिंग प्रिवेन्टर तथा टाइमर्स
44.	होइस्ट चैन पुल्ली ब्लाक्स तथा उसके पार्ट्स, स्पेयर्स एवं पुर्जे
45.	मेटल फिनिशिंग केमिकल, मेटल के लिये पिकलिंग प्रिपरेशन
46.	केन मोलासेस
47.	प्राकृतिक ग्रेफाइट
48.	फर्नेश आयल
49.	मेटल सरफेस के लिये पिकलिंग प्रिपरेशन, साल्डेरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिये फ्लकसेस एवं अन्य सहायक, मेटल तथा अन्य सामग्री से मिलकर तैयार साल्डेरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग पावडर एवं पेस्ट, वेल्डिंग इलेक्ट्राड या राड के लिये कोर्स या कोटिंग के रूप में उपयोग में लाये जाने वाला एक प्रकार का प्रिपरेशन.

(1)	(2)
50.	एंटी-नॉक प्रिपरेशन, आक्सीडेशन इन्हीबिटर्स, गम इन्हीबिटर्स, विस्कोसिटी इन्प्रुवरस, एंटी-कोरोसिव प्रिपरेशन्स तथा मिनरल आयल या अन्य द्रव्य जो मिनरल आयल के रूप में उसी उद्देश्य के लिये उपयोग में लाये जाय के लिये अन्य तैयार एडीटिव्स.
51.	फाऊंड्री मोल्ड या कोर्स के लिये तैयार बाईंडर्स, केमिकल या संबद्ध उद्योगों के केमिकल उत्पाद एवं अन्य प्रिपरेशन (इसमें वे भी शामिल होंगे प्राकृतिक उत्पाद के सम्मिश्रण को सम्मिलित करते हुए है).
52.	स्लेग वूल, रॉक वूल तथा समतुल्य मिनरल वूल, हीट-इन्सुलेटिंग के मिश्रण एवं सामग्री
53.	फेरो एलायज
54.	आक्सीजन गैस (मेडिसिनल ग्रेड छोड़कर)
55.	हाइड्रोजन गैस, रेयर गैस
56.	कार्बन डाई-आक्साईड गैस
57.	आर्गन, नाईट्रोजन गैस
58.	तरल प्रोपेन गैस
59.	तरल नाईट्रोजन गैस
60.	तरल आक्सीजन गैस
61.	तरल आर्गन गैस
62.	वेल्डिंग गैस
63.	लीड कोर्ड वायर डाया-13 एमएम
64.	निकल प्लेट साईज-2x2, 4x4, 6x6 एमएम
65.	इण्डस्ट्रीयल गैस सिलेण्डर
66.	एक्सप्लोजिव
67.	क्लिंकर
68.	स्लेग
69.	फ्लूडस्ट
70.	नेचुरल तथा सिंथेटिक रबर
71.	जिप्सम
72.	डिजाल्वड एसिटिलिन
73.	ग्राइंडिंग मिडिया बाल

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/56/2006/वाक/पांच (46), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/56/2006/CT/V (46).— In pursuance of the requirement under entry 60 of part II of Schedule-2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby notifies the goods specified in Schedule below as "Industrial Input" for the purpose of the said entry, namely,—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Goods (2)
1.	Glycerol crude, glycerol waters and glycerol liyes
2.	Liquid glucose (non-medicinal)
3.	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content or 20% or more, calculated on the dry weight.
4.	Copper ores and concent rates
5.	Nickel ores and concentrates
6.	Aluminium ores and concentrates
7.	Zinc ores and concentrates
8.	Tin ores and concentrates
9.	Chromium ores and concentrates
10.	Tungsten ores and concentrates
11.	Precious metal ores and concentrates

(1)	(2)
12.	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel
13.	Benzole
14.	Toluole
15.	Xylole
16.	Napthalene
17.	Phenols
18.	Creosote oils
19.	Normal Paraffin
20.	Fluorine, Chlorine, Bromine and Iodine
21.	Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur
22.	Carbon (carbon blacks and other forms of carbon)
23.	Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chloro sulphuric acid
24.	Sulphuric acid and anhydrides thereof; Oleum
25.	Nitric acid, Sulphonitric acids
26.	Diphosphorous penataoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids
27.	Oxides of boron; boric acids
28.	Ammonia, anhydrous or in aqueous solution
29.	Sodium hydroxide (caustic soda); Potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or Potassium.
30.	Sodium Silicate
31.	Aluminium hydroxide
32.	Iron oxides and hydroxides
33.	Ethylene, Propylene
34.	Cyclic Hydrocarbons
35.	Halogenated derivatives of Hydrocarbons
36.	Sulphonated, nitrated or notrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated
37.	Methanol
38.	Di-ethylene Glycol, Mono ethylene Glycol, Tri-ethylene glycol, Ethylene Glycol, Heavy ethylene Glycol.

(1)	(2)
39.	Synthetic organic colouring matter
40.	Pigments
41.	Enzymes
42.	Flavouring essences, synthetic essential oil
43.	Electrical goods, namely— (i) winding wires and strips (ii) control gears and starters (iii) ammeter, KWH meter, voltmeter (iv) electrical relays and single phasing preventor and timers
44.	Hoists chain pulley blocks and parts, spares, components thereof
45.	Metal finishing chemicals, pickling preparation for metal
46.	Cane molasses
47.	Natural Graphite
48.	Furnace oil
49.	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering brazing or welding, soldering brazing or welding powder and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coating for welding electrodes or rods.
50.	Anti-knock preparations, oxidation, inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils or for other liquids used for the same purpose as mineral oils.
51.	Prepared Binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products).
52.	Slag wool, rock wool and similar mineral wools, mixtures and articles of heat insulating
53.	Ferro alloys
54.	Hydrogen gas, rare gases
55.	Oxygen gas (excluding medicinal grade)
56.	Carbon di-oxide gas
57.	Argon, nitrogen gas
58.	Liquid Propane Gas
59.	Liquid Nitrogen Gas
60.	Liquid Oxygen Gas
61.	Liquid Argon Gas
62.	Welding Gas

(1)	(2)
63.	Lead Cored Wire Dia-13mm
64.	Nickel Plate Size - 2x2, 4x4, 6x6 mm
65.	Industrial Gas Cylinder
66.	Explosives
67.	Clinker
68.	Slag
69.	Flue Dust
70.	Natural & Synthetic Rubber
71.	Gypsum
72.	Dissolved Acetylene
73.	Grinding Media Balls

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/57/2006/वाक/पांच (47).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख तथा धारा 72 (एक) (ख) एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निम्न संशोधन करता है :—

संशोधन

(i) अधिसूचना क्रमांक ए-3-41-81 (35)-विक-पांच दिनांक 23-10-1981 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(ii) अधिसूचना क्रमांक [illegible] दिनांक 29-6-1982 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(iii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-11-86 -विक-पांच (74) दिनांक 16-10-1986 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् [illegible] -क के रूप में,

(iv) अधिसूचना क्रमांक ए-3-1-92 -विक-पांच (56) दिनांक 31-3-1992 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(v) अधिसूचना क्रमांक ए-3-1-92 -विक-पांच (57) दिनांक 31-3-1992 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(vi) अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-94 -विक-पांच (108) दिनांक 6-10-1994 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(vii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-1-95 -विक-पांच (43) दिनांक 6-06-1995 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(viii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95 -विक-पांच (96) दिनांक 7-11-1997 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(ix) अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94 -विक-पांच (69) दिनांक 14-9-1998 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 1-क के रूप में,

(x) अधिसूचना क्रमांक ए-3-27-89 -विक-पांच (15) दिनांक 19-2-1991 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् पैराग्राफ 2 के रूप में,

(xi) अधिसूचना क्रमांक ए-3-14-92 -विक-पांच (50) दिनांक 3-6-1993 के पैराग्राफ 2 के पश्चात् पैराग्राफ 2-क के रूप में,

निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाए-

"ऐसा व्यापारी जो इस अधिसूचना के अंतर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र का धारक है, औद्योगिक इकाई जिसके लिये पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, में उसके द्वारा निर्मित माल के विक्रय मूल्य पर कर वसूल करने के लिये हकदार होगा.

ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा और विवरण पत्र में कर देयता दर्शाएगा, किंतु कर जमा नहीं करेगा.

ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार स्व-निर्धारण के लिये पात्र नहीं होगा.

कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण के समय ऐसे व्यापारी द्वारा दर्शाये गये कर दायित्व के सत्यापन पश्चात् छूट (रेमिशन) प्रदान करेगा."

2. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होना माने जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/57/2006/वाक/पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/57/2006/वाक/पांच (47), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/57/2006/CT/V (47).— In exercise of power conferred by section 15-B and 72 (i) (b) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government hereby makes following amendment :-

AMENDMENT

(i) In notification No. A-3-41-81 (35)-ST-V dated 23-10-1981 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(ii) In notification No. A-3-41-81 (31)-ST-V dated 29-6-1982 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(iii) In notification No. A-3-11-86-ST-V (74) dated 16-10-1986 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(iv) In notification No. A-3-1-92-ST-V (56) dated 31-3-1992 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(v) In notification No. A-3-1-92-ST-V (57) dated 31-3-1992 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(vi) In notification No. A-3-24-94-ST-V (108) dated 6-10-1994 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(vii) In notification No. A-3-1-95-ST-V (43) dated 6-6-1995 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(viii) In notification No. A-3-12-95-ST-V (96) dated 7-11-1997 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(ix) In notification No. A-3-32-94-ST-V (69) dated 14-9-1998 after paragraph 1, as paragraph 1-A

(x) In notification No. A-3-27-89-ST-V (15) dated 19-2-1991 after paragraph 1, as paragraph 2

(xi) In notification No. A-3-14-92-ST-V (50) dated 3-6-1993 after paragraph 2, as paragraph 2-A

the following paragraph shall be added—

"Such dealer who hold eligibility certificate under this notification shall be entitled to collect tax on the sale price of goods manufactured by him in the industrial unit for which eligibility certificate has been granted.

Such dealer shall furnish returns to the appropriate Commercial Tax Officer as per the provisions of section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and show the tax liability in the returns but shall not deposit the tax.

Such dealer shall not be eligible for self assessment as per the provisions of sub-section (2) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

The assessing officer at the time of making the assessment shall remit the tax liability shown by such dealer after verification."

2. This amendment shall be deemed to have come in force from 1st day of April 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/57/2006/वाक/पांच (48).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख तथा धारा 72 (एक) (ख) एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं दिनांक 1-4-2006 से विखंडित करता है :—

अनुक्रमांक	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	ए-3-41-81-विक-पांच (24)	1-5-1982
2.	ए-3-11-86 -विक-पांच (77)	16-10-1986
3.	ए-3-24-94 -विक-पांच (110)	6-10-1994
4.	ए-3-27-89 -विक-पांच (136)	30-12-1994
5.	ए-3-1-95 -विक-पांच (45)	6-06-1995
6.	ए-3-70-95 -विक-पांच (106)	4-12-1997
7.	ए-3-32-94 -विक-पांच (71)	14-9-1998
8.	एफ-10-14-2002/वा.क./पांच (9)	7-2-2002

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/57/2006/वाक/पांच (48).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/57/2006/वाक/पांच (48), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/57/2006/CT/V (48).— In exercise of power conferred by section 15-B and 72 (i) (b) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby rescinds the following notifications with effect from 01-04-2006 :-

S. No.	Notification No.	Dated
1.	A-3-41-81-ST-V (24)	01-05-1982
2.	A-3-11-86-ST-V (77)	16-10-1986
3.	A-3-24-94-ST-V (110)	06-10-1994
4.	A-3-27-89-ST-V (136)	30-12-1994
5.	A-3-1-95-ST-V (45)	06-06-1995
6.	A-3-70-95-ST-V (106)	04-12-1997
7.	A-3-32-94-ST-V (71)	14-09-1998
8.	F/10-14/2002/CT/V (9)	07-02-2002

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (49).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

(1) (क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, और

(ख) उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट करता है जिनका उपयोग स्वनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है,

(2) यह निर्देश देती है कि उस तारीख से जो कि उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई है, वह प्रवेश कर जो कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, उक्त माल से संबंधित उसकी कराध्येय मात्रा पर, कालम (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई दर से प्रभारित किया जाएगा.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	स्थानीय क्षेत्र (2)	माल (3)	तारीख (4)	कर की दर (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र	जूट बैग तथा जूट रस्सी	01-05-2006	5%

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (49), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/58/2006/CT/V (49).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby :-

(1) Specify-
   (a) Local areas mentioned in column (2) of the schedule below, and
   (b) The goods mentioned in column (3) of the said schedule, which are used for packing of own manufactured goods in the said local areas.

(2) Directs that as from the date specified in column (4) of the said schedule, the Entry Tax payable by a dealer under this Act, shall be charged on his taxable quantum relating to the said goods, at the rate specified in the corresponding entry in column (5).

SCHEDULE

S. No. (1)	Local Area (2)	Goods (3)	Date (4)	Rate of Tax (5)
1.	All local areas in the State of Chhattisgarh.	Jute bag and jute twine.	01-05-2006	5%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत दिनांक 01-05-2006 से 31-3-2007 तक के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	जूट बैग तथा जूट रस्सी	सम्पूर्ण कर	जब कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत ऐसे अन्य व्यवसायी से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान पश्चात् क्रय किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50), दिनांक 28-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/58/2006/CT/V (50).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01-05-2006 to 31-03-2007, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent at exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Jute bag and jute twine	Whole of tax	When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another such registered dealer after payment of tax under the said act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.